पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

प्रेषक,

सर्वश्री

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

विषय : पंजीकरण/उपादान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि हमारी इकाई सर्वश्री .... लघु स्तरीय उद्योग (एस.एस.आइ)/लघुत्तर/लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम (एस.एस.एस.बी.ई.) के रूप में उद्योग निदेशक, उत्तरांचल/जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत द्वारा पंजीकृत है तथा हमारी इकाई राज्य सरकार की विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। तदनुसार हम अपनी (1) नई इकाई (2) इकाई में उत्पादन वृद्धि हेतु किये गये अभिनवीकरण/विस्तार हेतु रू. .... (रू. ....शब्दों में) केवल धनराशि का उपादान की स्वीकृति हेतु अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हैं।

2. हमारी नई इकाई/इकाई के विस्तार की योजना के बारे में विवरण संलग्न है। हमारी इकाई में उपादान अनुमन्यता के प्रयोजन हेतु दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पश्चात् किया गया स्थायी पूंजी विनियोजन निम्न प्रकार से है :-

अ- भूमि एवं भूमि विकास	रू.
ब- भवन	रू.
स- प्लांट एवं मशीनरी	रू.
द- माल वाहक	
र- अन्य विविध स्थायी पूंजी विनियोजन	रू.
योग -	

3. प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न है :-

(1) एस.एस.आई./एस.एस.एस.बी.ई. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
(2) प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
(3) वित्तीय संस्था/राष्ट्रीयकृत बैंक का ऋण स्वीकृति पत्र अथवा स्ववित्त योजना का प्रमाणपत्र।
(4) भूमि क्रय करने अथवा कब्जा प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र।
(5) भवन कार्यशाला का विवरण।

(6) प्लांट एवं मशीनरी/उपकरणों का विवरण तथा उनमें किये गये पूंजी निवेश का विवरण।

(7) वास्तविक पूंजी विनियोजन की पुष्टि हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंन्ट/चार्टर्ड इंजीनियर/आर्किटैक्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख।

(8) योजना के अन्तर्गत अन्य वांछित सूचना/प्रपत्र।

4. हम इस बात के लिये सहमत हैं कि यदि हमें उपादान वितरित किये जाने के बाद यह पाया जाये कि हमारी इकाई को वास्तविक अनुमन्य उपादान की धनराशि से अधिक धनराशि वितरित कर दी गई हो तो हम उस अतिरिक्त धनराशि को उत्तरांचल शासन द्वारा निर्धारित ब्याज तथा इस सम्बन्ध में किये गये अन्य व्ययों सहित वापस कर देंगे। हम इस बात के लिये भी सहमत हैं कि यदि हमें उपादान की धनराशि वितरित किये जाने के बाद यह पाया जाये कि हमने उपादान धनराशि असत्य तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की है तो हमसे उपादान की सम्पूर्ण धनराशि (मय ब्याज के) वापस ले ली जाये।

5. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमने इससे पहले इस इकाई के सम्बन्ध में उपादान प्राप्त करने हेतु शासन अथवा किसी वित्तीय संस्था को न तो कोई प्रार्थना पत्र दिया है अथवा न ही कोई उपादान प्राप्त किया है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रार्थी के हस्ताक्षर ....

प्रार्थी के नाम व ....

पद ....

इकाई का नाम ....

(मुहर सहित) ....

टिप्पणी :– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।